मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

टिप्पणी एवं आदेश

आयुक्त\अध्यक्ष महोदय,

आपकी अध्यक्षता में दिनांक ०६-३-६५ को सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त सम्मुख आपके अवलोकनार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

29/3/95

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून की
सदस्यों\अधिकारियों

...0एम0वोहरा,आयुक्त,गढवाल मण्डल
...0एल0शर्मा,उपाध्यक्ष,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देह...
...केश बहादुर,जिलाधिकारी,प्रशासक, नगरपालिका,मसूरी एवं
...रिधर शर्मा
...म प्रकाश उनियाल
...0एस0यदुवंशी,संयुक्त निदेशक,पर्यावरण निदेशालय,लखनऊ
...0सी0गर्ग, अधीक्षण अभियंता,लो0नि0 वि0,देहरादून
...न बी0रतन,सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग
...0डी0 रतूडी,उप वन संरक्षक,देहरादून

...स्थित :

...0के0गुप्ता,अधिशासी अभियंता,निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,देहरा...
...ण कुमार निगम,सचिव,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरा...
...एम0उनियाल,सहायक लेखाधिकारी,म0दे0वि0प्रा0,देहरादून

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून की बैठक दिनांक ०६-३-९५ में उपस्थित सदस्यों\अधिकारियों की उपस्थित :

बी०एम०वोहरा,आयुक्त,गढवाल मण्डल	अध्यक्ष
के०एल०शर्मा,उपाध्यक्ष,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून	उपाध्यक्ष
राकेश बहादुर,जिलाधिकारी,प्रशासक, नगरपालिका,मसूरी एवं देहरादून	सदस्य
गिरिधर शर्मा	सदस्य
ओम प्रकाश उनियाल	सदस्य
एच०एस०यदुबंशी,संयुक्त निदेशक,पर्यावरण निदेशालय,लखनऊ	प्रतिनिधि सदस्य
एन०सी०गर्ग, अधीक्षण अभियंता,लो०नि० वि०,देहरादून	प्रतिनिधि सदस्य
बृज बी०रतन,सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग,गढवाल सम्भाग,देहरादून	प्रतिनिधि सदस्य
बी०डी० रतूडी,उप वन संरक्षक,देहरादून	प्रतिनिधि सदस्य

...स्थित :

...स०के०गुप्ता,अधिशासी अभियंता,निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०,देहरादून
...वण कुमार निगम,सचिव,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून
...०एम०उनियाल,सहायक लेखाधिकारी,म०दे०वि०प्रा०,देहरादून

520

गत बैठक की कार्यवाही :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा गत बैठक की अनुपालन आख्या पढी गयी और सर्व-सम्मति से इसका अनुमोदन किया गया। गत बैठक दिनांक २१-१२-६४ की कार्यवाही की पुष्टि करते हुए प्राधिकरण की उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार लोहियापुरम आवासीय योजना के संशोधित तलपट मानिचत्र का भी अनुमोदन किया गया ।

विषय क्रमांक : १

अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधों के शमन हेतु संशोधित शमन उप विधि १६६४ का प्रारुप

संदर्भित विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मति से अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने के उद्धेश्य से प्रस्ताव में वर्णित शमन उपविधि १६६४ पर यद्यपि सैद्धान्तिक सहमति थी परन्तु आवासीय भवनों के शमन पर कतिपय शिथिलता प्रस्तावों पर स्थानीय परिवेश में आवश्यक संशोधनों सहित विचार कर अंतिम रुप देने के लिये उपाध्यक्ष ,सहयुक्त नगर नियोजक , श्री गिरिधर शर्मा, सदस्य,म0दे0वि0प्रा0 की समिति को प्राधिकृत करते हुए संशोधित शमन उपविधि १६६४ को शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक :-२

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का वर्ष १६६४-६५ का पुनरीक्षित एवं वर्ष १६६५-६६ का प्रस्तावित बजट

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष १६६४-६५ का पुनरीक्षित एवं वर्ष १६६५-६६ के प्रस्तावित बजट पर बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान आम सहमति यह व्यक्त की गयी कि बजट प्रस्ताव बनाते समय उनमें प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष के अर्न्तगत विभिन्न कार्यो के सापेक्ष होने वाले व्यय एवं आय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिये इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण इस वित्तीय वर्ष के अर्न्तगत प्रस्तावित आय एवं व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत करें । उक्त निर्देशों के साथ प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष ६४-६५ के पुनरीक्षित बजट में मसूरी हेतु रु0-४० लाख का प्राविधान करने के साथ साथ वर्ष १६६५-६६ के प्रस्तावित बजट का सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

विषय क्रमांक :-३

१२ प्रीतम रोड की सम्पत्ति को आपसी वार्ता के आधार पर क्रय करने एवं इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में वर्ष १६८६ से गतिमान भु-अर्जन के प्रस्ताव को वापस लेने सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक हेतु विचारणीय बिन्दु ।

उक्त प्रस्ताव पर बैठक में विस्तृत चर्चा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा " स्टेटस को " आदेश पारित किए गए हैं और इस वाद में नगरपालिका देहरादून के अभिलेखों में प्रश्नगत सम्पत्ति श्रीमती हरनाम कौर के नाम से अंकित होने के कारण इन्हें भी एक वादी बनाया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय से यदि सम्बन्धित वादी मामला वापस ले लेते हैं तो प्राधिकरण इस सम्पत्ति को आपसी वार्ता से क्रय करने से पूर्व इसके समस्त विवादित पहलुओं का निस्तारण कराते हुए प्रस्ताव पुनः प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें ।

522

523

विषय क्रमांक : -४

सिन्दुरिया हनुमान मंदिर स्थित अंसारी मार्ग के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि मंदिर निर्माण का उक्त प्रस्ताव उपविधियों एवं महायोजना में निर्धारित प्राविधानों के विपरीत है अतः सर्व-सम्मति से इसे अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक :- ५

श्रीमती उषा यादव पत्नी श्री एस०एल०यादव द्वारा शापिंग काम्पलैक्स स्थित कांवली (जनरल महादेव सिंह मार्ग) का भवन मानचित्र संख्या-३७\६४-६५ के संबंध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित दुकानों की आवश्यकता के सम्बन्ध में पूर्व बैठकों में लिये गये निर्णयानुसार इसकी आवश्यकता एवं तकनीकी परीक्षण कर आख्या देने हेतु निम्नवत समिति का गठन किया गया जो उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मौके की स्थिति तथा प्रस्तावित शापिंग काम्पलैक्स की आवश्यकता के सम्बन्ध में परीक्षण कर अपनी संस्तुति उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० को प्रस्तुत करेंगी और उपाध्यक्ष इस मानचित्र को समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुति के अनुरुप अपने स्तर से निस्तारित करें।

१-सचिव,म०दे०वि०प्रा०, देहरादून
२-सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग,गढवाल सम्भागीय नियोजन खण्ड,देहरादून
३-श्री ओम प्रकाश उनियाल,सदस्य,म०दे०वि०प्रा०

विषय क्रमांक :- ६

सचिव,शालिनी मेमोरियल स्कूल ग्राम आमवाला तरला खसरा नम्बर-५ एवं ३५ पर प्रस्तावित स्कूल के संबंध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित स्कूल की आवश्यकता के सम्बन्ध में परीक्षण कर आख्या देने हेतु निम्न समिति का गठन किया गया जो उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मौके की स्थिति तथा इस क्षेत्र के भूउपयोग परिवर्तन पर विगत बैठकों के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित स्कूल की आवश्यकता के सम्बन्ध में परीक्षण कर अपनी संस्तुति प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

१-सचिव,म०दे०वि०प्रा०
२-सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग,गढवाल सम्भागीय नियोजन खण्ड,देहरादून ।
३-श्री ओम प्रकाश उनियाल,सदस्य,म०दे०वि०प्रा०।

विषय क्रमांक :-७

गुरुद्वारा श्री कलगीधर सेवक सभा त्यागी रोड, देहरादून पर वाद संख्या-५५\६१ पर लगाया गया शमन शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि प्राधिकरण द्वारा किसी

524 525

वाद को शमन करने के सम्बन्ध में आगणित शमन शुल्क को कम किए जाने हेतु कोई प्राविधान नहीं है अतः इस पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है। सर्व-सम्मति से प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

विषय क्रमांक :- ८

<u>मैं0 उत्तराखण्ड बुलियन यार्न प्रा0लि0 खसरा नम्बर-४८, ४६ एवं ५१ ग्राम सुद्धोवाला चकराता रोड देहरादून को स्पोट जोन किये जाने के सम्बन्ध में ।</u>

उक्त विषय पर चर्चा के दौरान बैठक को सचिव, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में उक्त खसरा नम्बरान में मैं0 उत्तराखण्ड बुलियन यार्न प्रा0लि0 वर्ष १९८४ में यू0पी0 एफ0सी0 से ऋण प्राप्त कर स्थापित थी परन्तु उक्त फर्म द्वारा यू0पी0एफ0सी0 की ऋण अदायगी न किए जाने के कारण यू0पी0एफ0सी0 द्वारा इसे मैं0 स्टैडयूल प्रा0लि0 को इण्डस्ट्रीयल नाईफस उघोग स्थापित करने हेतु आवंटित किया गया है । प्राधिकरण से उक्त स्थल का भूउपयोग कृषि से औघोगिक स्पोट जोन करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त विषय पर विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रश्नगत स्थल पर पूर्व में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही मैं0 उत्तराखण्ड बुलियन यार्न प्रा0लि0 स्थित है अतः उक्त स्थल का भूउपयोग कृषि से औघोगिक स्पोट जोन कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:

अन्य विषय क्रमांक :- १

<u>ट्रान्सपोर्ट नगर के सम्बन्ध में</u>

बैठक में उक्त विषय के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक २१-१२-६४ में लिये गये निर्णय के अनुरुप ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव जो शासन स्तर पर लम्बित है, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी देहरादून को पत्र दिनांक ११-१-६५ को प्रेषित किया जा चुका है। उपाध्यक्ष द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक २१-१२-६४ में ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही गतिमान है और इसी संदर्भ में एक प्रस्ताव शिमला रोड पर स्थित ग्राम मेहूँवाला माफी का महाराजा एसोसियेट से लगभग २०० बीघा भूमि का प्राप्त हुआ है जिसका परीक्षण किया जा रहा है और साथ ही भूमि के क्रय मूल्य निर्धारण हेतु क्रय मूल्य समिति को दिनांक ४-२-६५ को लिखा जा चुका है। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु उपयुक्त स्थल पर भूमि चयन सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें । इस बीच प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा की गयी धनराशि वापसी की कार्यवाही की जाये ताकि प्राधिकरण द्वारा इस धनराशि का उपयोग ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु अन्य स्थान पर भूमि क्रय के लिये किया जा सके ।

527

अन्य विषय क्रमांक :- २

<u>रिवर बैंक आवासीय योजना के सम्बन्ध में</u>

बैठक में सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक २१-१२-६४ में निर्णय लिया गया था कि उक्त योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व रुडकी विश्वविघालय से योजना की सुरक्षा हेतु समुचित परीक्षण के सम्बन्ध में पुनः परामर्श प्राप्त किया जाये । उन्होनें बताया कि इस सम्बन्ध में प्राधिकरण अधिकारियों की रुडकी विश्वविघालय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई और इस सम्बन्ध में उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त योजना की सुरक्षा के सम्बन्ध में बनायी जाने वाली रिटेनिंग वाल आदि के सम्बन्ध में सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुडकी से परीक्षण कराया जाना उचित होगा । इस पर बैठक में सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा शीघ्र इस योजना की रिटेंनिंग वाल आदि के सम्बन्ध में सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुडकी से परीक्षण कराते हुए प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

इसी के साथ प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक २१-१२-६४ में लिये गये निर्णयानुसार उक्त आवासीय योजना के संशोधित तलपट मानिचत्र का भी अनुमोदन किया गया ।

अन्य विषय क्रमांक :-३

<u>प्राधिकरण द्वारा दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु प्राईवेट कालोनाईजर्स को भूमि उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में :-</u>

बैठक के दौरान उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के कई विकास प्राधिकरणों द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को वित्त पोषित दरों पर आवास उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से अपनी परियोजनाओं में भूमि का विक्रय प्राईवेट कालोनाईजरों को इस प्रतिबन्ध के साथ किया जा रहा हैं कि वे इनके एक निर्धारित भाग में प्राधिकरण के निर्देशों के अनुरुप दुर्बल आय वर्ग के भवनों को निर्मित करें तथा इस प्रकार के भवनों को दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों की आवासीय समस्या का निदान करने के उद्धेश्य से आवंटित करें।

बैठक में उक्त प्रस्ताव की सराहना की गयी और प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की व्यवस्था देहरादून में भी लागू करने हेतु उपाध्यक्ष , मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाये ।

अन्य विषय क्रमांक : ४

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचारार्थ रखे गये मसूरी के दुग्गल विला के पूर्व स्वीकृत भवन मानचित्र पर नवीनीकरण सम्बन्धी विषय पर वन विभाग की आपत्तियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि यह भवन लगभग निर्मित हो चुका है परन्तु विगत वर्ष १६६३ में कुछ अवधि के लिये भवन निर्माण कार्य न होने के कारण आवेदक ने पूर्व स्वीकृत भवन मानचित्र के नवीनीकरण का आवेदन किया तथा कुछ कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया। शासन द्वारा नामित सदस्यों द्वारा इस विषय पर यह मत रखा गया कि यदि समय रहते निर्माण पूर्ण हो चुका होता तो सम्भवतया यह स्थिति न आती अतः इस पर सहानूभूतिपूर्वक विचार आवश्यक है। निर्णय लिया गया कि जो

529

बिना नवीनीकरण के निर्मित कराया गया है, उसके शमन के सम्बन्ध में वन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में ध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0गुण दोष के आधार पर निर्णय लें।

य विषय क्रमांक : ५

शासन द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की नियमित ाय का श्रोत्र टैप करने के उद्धेश्य से पारे के शिवलिंग की स्थापना प्राधिकरण स्तर से करवाने का एक प्रस्ताव खा गया। इस विषय पर विचार विमर्श करने के उपरान्त सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा किसी धर्म विशेष के भवन निर्माण हेतु कार्यवाही नहीं की जा सकती है अतः प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अस्वीकृत किया गया।

उक्त विषय पर चर्चा के दौरान ही उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि प्राधिकरण को एक नियमित आय का श्रोत्र उपलब्ध कराने के उद्धेश्य हेतु प्राधिकरण के पास राजपुर अथवा भट्टाफौल से मसूरी तक केबिल कार योजना स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस योजना का एक विस्तृत प्रस्ताव उषा ब्रको, बाम्बे से पूर्व में प्राप्त हुआ था। उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना से जहां एक ओर पर्यटकों को मसूरी जाने हेतु सुविधा प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर मसूरी में ट्रैफिक दबाव भी कम होगा।

सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस हेतु विस्तृत परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। इस बीच रज्जू मार्ग संचालित करने वाली अन्य कम्पनियों से भी प्रस्ताव प्राप्त कर विस्तृत विवरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

अन्त में बैठक में उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(के0एल0 शर्मा)
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

(बी0एम0वोहरा)
आयुक्त,
गढवाल मण्डल,
अध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।